51 (8). सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक – बोर्ड का गठन

मुझे उक्त विषय पर इस विभाग के दि. 16/3/92 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18(6)91 जी एम का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख किया गया है कि उद्यम के निदेशक बोर्ड में सरकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड के निदेशकों की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे निदेशकों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लोक उपक्रम समिति (1998–99 में ''लोक उपक्रमों में वरिष्ठ स्तरीय पदों की नियुक्ति और इससे संबद्ध मसलों'' पर अपनी चौथी रिपोर्ट में कुछ उपक्रमों में इस संबंध में विचलन होने पर बहुत अप्रसन्नता जाहिर की है। समिति का विचार है कि सरकारी निदेशकों की संख्या निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड के गठन पर पुनर्विचार करें और सरकारी निदेशकों की संख्या कम करके ऊपर पैरा में वर्णित इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमा के भीतर लाएं। इस संबंध में की गई कार्रवाई की इस विभाग को तत्काल सूचना दें।

(डी पी ई का 25 जनवरी 2000 का का.ज्ञा. सं.2(19)99–जीएम)